केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान,

वंदेमातरम मार्ग, नई दिल्ली

1. प्रोफाइल (रूपरेखा)

केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत एक प्रमुख संस्थान है।

यह संस्थान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों एवं केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक संगठनों के अधिकारियों और स्टाफ को पुलिस संचार का प्रशिक्षण देता है। यह संस्थान पड़ोसी देशों के पुलिस संगठनों के लिए भी प्रशिक्षण सुविधाएं देता है।

इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में तकनीकी का तेजी से विकास हो रहा है और पुलिस दूरसंचार नेटवर्क में परिष्कृत उपकरणों के शामिल होने से इसके अधिष्ठापन, संचालन और अनुरक्षण के लिए दूरसंचार कार्मिकों के कौशल का उन्नयन करना आवश्यक है जिससे कि पुलिस दूरसंचार नेटवर्क कार्य का कारगर ढ़ंग से निष्पादन सुनिश्चित हो सके। इस चुनौती को पूरा करने के लिए और तीव्र गति से विकसित होती दूरसंचार तकनीकी के साथ चलने के लिए विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय-समय पर समीक्षा की जाती है जिससे की उन्हें वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप और सुसंगत बनाया जा सके।

प्रशिक्षणार्थियों /अधिकारियों/स्टाफ के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित अन्य विषयों पर तथा इलेक्ट्रोनिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में प्रख्यात अतिथि वक्ताओं द्वारा, जब भी आवश्यकता पड़ती है, तो अतिथि व्याख्यान देने की व्यवस्था की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार के क्षेत्र में उभरती प्रवृतियों के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को परिचित कराने के लिए तकनीकी प्रतिष्ठानों के दौरा की व्यवस्था भी की जाती है।

संचार प्रणाली और प्रबंधन की नवीनतम प्रवृतियों पर पुलिस अधीक्षकों और इससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए पुलिस संचार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

सीपीआरटीआई का कार्य नेटवर्क के प्रचालन, रखरखाव और कारगर प्रबंधन में पुलिस दूरसंचार कार्मिकों के तकनीकी ज्ञान को अद्यतन करने का एक बड़ा कार्य है। यह देश में पुलिस दूरसंचार अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से उत्कृष्टता की खोज मे निरंतर लगा हुआ है।

2. सीपीआरटीआई कैसे पहुंचें

सीपीआरटीआई ऊपरी रिंग रोड (हाल ही में इसका नाम वंदे मातरम मार्ग रखा गया है) में स्थित है और इसके चारो ओर राजेन्द्र नगर, करोल बाग और बिरला मंदिर है। संस्थान में झंडेवाला मेट्रो स्टेशन से पैदल भी पहुंचा जा सकता है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दिल्ली में मुख्य सड़क/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से संस्थान की अनुमानित दूरी नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	स्थान	दूरी (कि.मी. में)
01	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	5
02	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन	8
03	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन	15
04	सराय रोहिल्ला रेलवे स्टशन	6
05	आईएसबीटी (कशमिरी गेट)	10
06	आईएसबीटी (आनंद विहार)	16
07	आईएसबीटी (सराय काले खाँ)	12
08	आईजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट	18
09	पालम एयरपोर्ट (डोमस्टिक)	13

3. आधारभूत ढाँचा

सीपीआरटीआई में अलग-अलग तकनीकी प्रयोगशालाये, व्याख्यान कक्ष, छात्रावास, कैन्टीन, पुस्तकालय आदि हैं। ऑडियो विजुवल प्रशिक्षण साधनों के अतिरिक्त प्रयोगशालाएं औजारों और उपकरणों से सुसज्जित हैं। सीपीआरटीआई का दूरभाष नम्बर निम्नलिखित हैं :-

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) – 011- 25785519, सहायक निदेशक-I (प्रशिक्षण)- 011-25860390, सहायक निदेशक- II – 011-25728739

4. पुस्तकालय

प्रशिक्षणार्थियों को संदर्भ ग्रहण करने और गहन अध्ययन आदि के लिए पुस्तकालय है। पुस्तकालय में तकनीकी विषयों पर लगभग 5000 बहुमूल्य पुस्तकों का संग्रह है। समय-समय पर नई पुस्तकों को भी शामिल किया जाता हैं।

5. छात्रावास

परिसर संस्थान में स्थित छात्रावास ब्लॉक में लगभग 125 प्रशिक्षणार्थियों के रहने के लिए छात्रावास की सुविधा है। इसमें प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के लिए अलग कॉट की व्यवस्था उपलब्ध है। लंबी अवधि की प्रवीणता पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों को अपना बिस्तरा आदि अपने साथ लाना अपेक्षित है। प्रशिक्षार्थियों की सुविधा के लिए टेबूल तथा कुर्सी की व्यवस्था है। महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान परिसर मे सीमित छात्रावास सुविधा है।

6. आवास शुल्क

पूरे कोर्स के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह एक मुश्त रू. 35/- टोकन किराया के रूप में अग्रिम रूप से जमा करना होता है।

7. शिक्षा शुल्क

प्रशिक्षार्थियों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है।

8. **मनोरंजन सुविधाएं**

मनोरंजन क्रियाकलाप मुख्यत: इन-डूर गेम और वॉलीबॉल/बेडमिंटन तक सीमित हैं।

9. **कैन्टीन**

संस्थान के पास एक कैन्टीन है जिसे प्रशिक्षार्थियों की भोजन व्यवस्था के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर (निजी ठेकेदार) द्वारा चलाया जाता है। वर्तमान में नाश्ता/दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन और दो कप चाय के लिए एक माह का भोजन शुल्क रू. 1860/- है।

10. **चिकित्सा सुविधा**

किसी आपातकालीन चिकित्सा लाभ के लिए प्रशिक्षार्थी नजदीक के दो अस्पतालों डॉ राम मनोहर लोहिया और सर गंगा राम अस्पताल की सुविधा उपलब्ध हैं जो कि संस्थान से लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं।

11. **प्रशिक्षार्थियों के लिए कार्यग्रहण अनुदेश**

विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण के लिए नामित किए गये प्रशिक्षार्थियों को उन्हें कोर्स प्रारंभ होने की तारीक को 0900 बजे संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) को रिपोर्ट करना जरूरी है। बाह्य स्टेशनों के उम्मीदवार, यदि चाहें तो संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) से पूर्व अनुमति लेकर बाहर में रह सकते हैं।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नामित सभी प्रशिक्षार्थियों को कार्यग्रहण करते समय संबंधित संगठनों के अधिकारियों एवं प्रभारियों द्वारा जारी संगत कार्यमुक्ति आदेश/संचलन आदेश प्रस्तुत करना जरूरी है। उद्घाटन सत्र में सभी उम्मीदवारों को उपस्थिति रहना आवश्यक है।

12. **प्रशिक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशानिर्देश**

संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन अपेक्षित है :-

i. प्रशिक्षार्थियों को सीपीआरटीआई में प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन और सदाचार का पालन करना आवश्यक है।
ii. प्रशिक्षण के दौरान साधारणतया छुट्टी नहीं दी जाती है।
iii. आवास शुल्क अग्रिम रूप से जमा किया जाना है।
iv. भोजनालय शुल्क प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मेस कॉन्ट्रेक्टर को जमा किया जाना है।
v. छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षार्थियों को भोजन कैन्टीन में खाना आवश्यक है। छात्रावास बैरेक/कक्ष में केवल सुबह की चाय ही दी जाती है। एक बैच के प्रशिक्षार्थियों को एक निर्धारित समय आवंटित किया गया है तथा हरेक बैच को मेस में भोजन करने के लिए निर्धारित समय का पालन करना होगा।
vi. कैन्टीन की भोजन सूची (मेनू) में उल्लिखित सामग्री ही परोसी जाएंगी। अतिरिक्त भुगतान पर विशेष व्यंजन परोसे जा सकते हैं।
vii. प्रशिक्षार्थियों को छात्रावास में उनके स्वंय के भोजन बनाने की अनुमति नहीं है। इस उद्देश्य हेतु स्टोव, हीटर आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
viii. प्रशिक्षार्थियों के पास उनके संबंधित संगठन द्वारा जारी किया हुआ वैध पहचान पत्र होना चाहिए और इसे सुरक्षा गार्ड या सीपीआरटीआई प्राधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाना चाहिए।

ix. प्रशिक्षार्थियों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना छात्रावास में कोई पार्टी या इस तरह के अन्य कोई समारोह का प्रबंध करने की अनुमति नहीं है।

x. प्रशिक्षार्थियों को सामान्यत: कार्यालय समय के बाद उनकी अपनी कार, स्कूटर या बाइसाइकिल पार्क करने की अनुमति नहीं है।

xi. प्रशिक्षार्थियों को उनके भोजन/रहने और मेस के संबंध में कोई भी शिकायत होने पर वे कोर्स समन्वयक/छात्रावास की देखभाल कर रहे संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं। कैन्टीन में इसके लिए एक सुझाव पेटी रखी हुई है। कैन्टीन आदि के बारे में किसी भी शिकायत की आवश्यक उपचारी कार्रवाई के लिए अपना सुझाव इस पेटी में डाल सकते हैं ।

xii. प्रशिक्षार्थियों को अवकाश दिवस के दौरान छात्रावास को छोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

xiii. प्रशिक्षार्थियों को छात्रावास में और परिसर में स्वच्छता/सुव्यवस्था का पूरा ख्याल रखना होगा।

13. अनुशासनात्मक कार्रवाई

प्रशिक्षार्थियों को उनके संबंधित संगठनों में वापस भेजे जाने के अतिरिक्त उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जा सकती है , यदि वे :-

- संबंधित कोर्स के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता या संबंधित कोर्स के लिए मानक नहीं रखते।
- मासिक जांच परीक्षाओं में प्रगति नहीं दिखाते हैं।
- बिना अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं।
- मोर्स रीडिंग/ प्रचालन संबंधी प्रशिक्षण के दौरान सेन्डिंग और टाइपिंग में निर्धारित स्पीड को पकड़ने में अक्षम होते हैं।
- किसी उपकरण, औजार, फिक्चर या किसी अन्य सम्पत्ति का गलत तरीके से उपयोग करते हैं या तोंडते हैं।
- परिसर में स्वंय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुआ, नशा, अनुशासनहीनता, और दुराचार के कार्यों में सम्मिलित करते हैं या उपद्रव आदि का कारण बनते हैं।
- किसी मौजूदा आदेश/नियम/नियमावली का उल्लंघन करते हैं या किसी अनधिकृत व्यक्ति को कोई शासकीय गोपनियता प्रकट करते हैं।
- किसी अनधिकृत व्यक्ति की खातिर करते हैं।
- कैन्टीन चार्ज या किसी अन्य बकाया का निर्धारित समय में भुगतान करने में असफल होते हैं।

14. दिल्ली की जलवायु संबंधी परिस्थिति

दिल्ली का मौसम दो बार चरम सीमाओं तक बदलता है। सर्दी के दौरान (दिसम्बर से फरवरी) तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि गर्मी में (मई-जून) यह 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अत: प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण कोर्स की अवधि के दौरान मौसम की स्थिति के अनुसार उचित विस्तर, उपयुक्त कपड़े, मच्छरदानी आदि को साथ लेकर आना चाहिए।

टिप्पणी. प्रशिक्षण के प्रारम्भ/समापन की तिथि को छुट्टी होने की स्थिति में, इसे क्रमश: अगले/पिछले कार्य दिवस को शुरू/समाप्त किया जाएगा।